

इसे वेबसाइट www.govt_press_mp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपाल

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 196]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 अप्रैल 2013—वैशाख 4, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2394-141-इक्कीस-अ (प्रा.)/अधि..—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 16 अप्रैल, 2013
को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २२ सन् २०१३

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१३

[दिनांक १६ अप्रैल, २०१३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", में दिनांक २४ अप्रैल २०१३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१३ है।

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १० तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"११.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, भोपाल.	जागरण सोशल बेलफेयर, सोसाइटी, भोपाल.	मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी.	जागरण लेकसिटी विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, मुगालिया छाप, तहसील हुजूर, भोपाल.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश।"

भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2013

क्र. 2395-141-इक्कीस-आ (प्रा.)/अधि..—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 22 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT

No. 22 OF 2013

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
SANSHODHAN ADHINIYAM, 2013.

[Received the assent of Governor on the 16th April, 2013; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 24th April, 2013.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of India as follows :—

- | | |
|---|------------------------|
| 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2013.

2. In Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 10 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :— | Short title. |
| | Amendment of Schedule. |

S. No.	Name of Private University	Name of Sponsoring body	Mode of forming Sponsoring body	Main campus	Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"11.	Jagran Lakecity University, Bhopal	Jagran Social Welfare Society, Bhopal	Society Registered under the M. P. Society Registrikan Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	Jagran Lakecity University, Gram Panchayat Mugaliya Chhap, Tehsil Huzur, Bhopal	Whole of Madhya Pradesh.”.